BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

राष्ट्रीय बांस मिशन

बांस के माध्यम से भारत की हरित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

मुख्य बातें

- पुनर्गठित **राष्ट्रीय बांस मिशन** 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **बांस की खेती, प्रसंस्करण और विपणन** को बढ़ावा देता है।
- यह मिशन **वित्तीय सहायता, एफपीओ के गठन और कौशल विकास** के माध्यम से किसानों और एमएसएमई को सहायता प्रदान करता है।
- एनबीएम **अगरबत्ती क्षेत्र** को पुनर्जीवित करने और आयात पर निर्भरता कम करने में भी सहायता करता है।
- **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम** की सफलता की कहानियाँ ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाती हैं।

परिचय

भारत में बांस के अंतर्गत **सबसे अधिक** क्षेत्रफल (13.96 मिलियन हेक्टेयर) है और 136 प्रजातियों (125 देशी और 11 विदेशी) के साथ बांस विविधता के मामले में चीन के बाद **दूसरा सबसे समृद्ध देश** है। भारत के अधिकांश पहाड़ी राज्यों में, बांस का व्यापक रूप से निर्माण/भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्नीचर, वस्त्र, खाद्य, ऊर्जा और हर्बल औषधि जैसे उद्योगों में पारंपरिक और आधुनिक अनुप्रयोगों के साथ, अन्य देशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है।

भारत का बांस और रतन उद्योग **28,005 करोड़ रुपये** का है। बांस क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2018 में **केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए)** द्वारा **पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)** को देश भर में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था ताकि

हमारे उद्योग को आपूर्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण और उपयुक्त प्रजातियों की खेती, उपचार, प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके ताकि इसे घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

मिशन का उद्देश्य क्षेत्र-आधारित, क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग रणनीति अपनाकर बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना और बांस की खेती एवं विपणन के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाना है। मिशन के अंतर्गत, नई नर्सरियों की स्थापना और मौजूदा नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने में सहायता देकर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन बांस उत्पादों, विशेष रूप से हस्तशिल्प वस्तुओं के **विपणन को मजबूत** करने के लिए कदम उठा रहा है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य के नोडल विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। लाभार्थियों का चयन और सहायता प्रदान करने का कार्य राज्य बांस मिशन/राज्य बांस विकास एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जो मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान में यह योजना 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देश्य

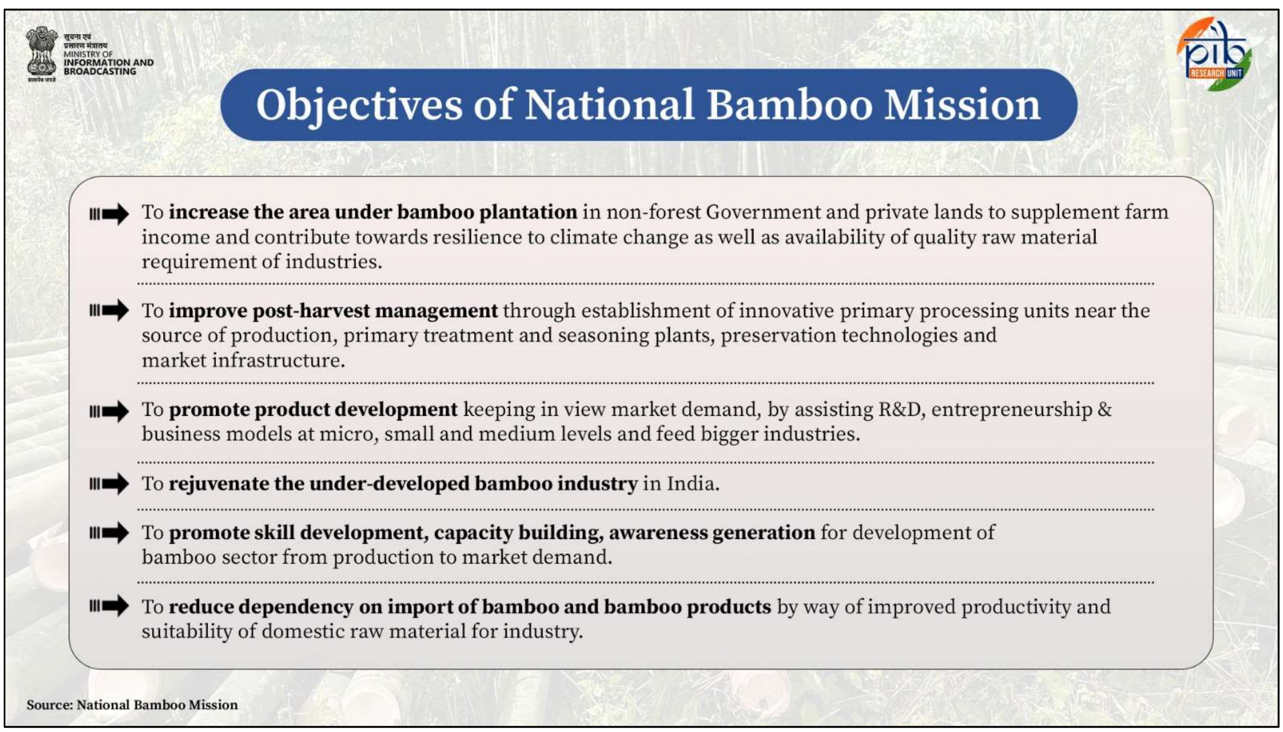

राष्ट्रीय बांस मिशन की उपलब्धियां

31 दिसंबर, 2024 तक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की भौतिक प्रगति इस प्रकार है:

14 मान्यता प्राप्त नर्सरियों सहित **408 बांस नर्सरियां** स्थापित की गई हैं।

60,000 हेक्टेयर गैर-वनीय क्षेत्र बांस रोपण के अंतर्गत लाया गया है।

104 बांस उपचार एवं संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

528 उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं।

बांस व्यापार के लिए **130 बाजार अवसंरचना सुविधाएं** सृजित की गई हैं।

31 दिसंबर, 2024 तक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

FINANCIAL PROGRESS UNDER RESTRUCTURED NBM

(as of December 31, 2024)

YEAR	BE	RE	EXPENDITURE	
2018-19	300.00	153.30	150.03	
2019-20	150.00	87.00	84.51	
2020-21	110.00	94.00	75.21	
2021-22	100.00	70.00	20.58	
2022-23	65.00	40.00	11.63	NBM merged with MIDH/KY
2023-24	95.00	60.00	50.38	
2024-25	105.76	-	60.46	

(Rs. In crore)

Source: Annual Report 2024-25, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

बांस के विभिन्न प्रकार और उपयोग

बांस की प्रजातियां	सामान्य / स्थानीय नाम	प्राथमिक व्यावसायिक उपयोग
बम्बुसा बालकूआ	भीम, बालुका (असमिया), बाल्कू बंस (बंगाली)	अगरबत्ती, हस्तशिल्प, लुगदी
डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस	कराली (बंगाली), नकुड़ बांस (गुजराती), सालिया (उड़िया)	संगीत वाद्ययंत्र, फ़र्नीचर, निर्माण, औषधीय पत्तियां
मेलोकाना बैसीफेरा	तराई (असमिया), मुली (बंगाली), मौबी (मणिपुरी)	बांसुरी बनाना, बुनाई, लुगदी, खाने योग्य अंकुर और बीज
ओचलैंड्रा ट्रैवनकोरिका	ईटा (मलयालम), ईराल (तमिल)	चटाई बुनाई, टोकरी बनाना, बांस की प्लाई, छतरी के हैंडल, छप्पर
डेंड्रोकैलेमस एस्पर	मीठा बांस	खाद्य अंकुर, डंडे, लुगदी

बम्बुसा पॉलीमोर्फा	जामा बेतवा (असमिया), बेतुआ (बंगाली), नारंगी बांस (हिंदी)	भूदृश्य, खाने योग्य अंकुर, अगरबत्ती, निर्माण
स्यूडोक्सीटेनेंथेरा स्टॉक्सआई	मालाबार बांस, मंगा (मराठी), मरिहला बिदुरू (कन्नड़)	खाद्य पात्र, निर्माण, टोकरी बनाना, फ़र्नीचर
डेंड्रोकैलामस गिगेंटस	वोर्रा (असमिया), मरूबोब (मणिपुरी), अनामुला (मलयालम)	नाव का मस्तूल, भवन, निर्माण, खाने योग्य अंकुर
थायरसोस्टैचिस ओलिवेरी	रंगून बांस, कोराना (मलयालम)	फ़र्नीचर, टोकरी बनाना, निर्माण, डंडे
स्किजोस्टैचियम पेर्गेसिल	भलान बंस (हिंदी), मदांग (असमिया), वूटांग (मणिपुरी)	भूदृश्य, हस्तशिल्प, लुगदी

राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत और विकास

राष्ट्रीय बांस मिशन **2006-07** में **एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)** के रूप में शुरू किया गया था और 2014-15 के दौरान इसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और 2015-16 तक जारी रहा। इसके बाद, केवल एनबीएम के तहत पहले लगाए गए बांस के बागानों के रखरखाव के लिए ही धनराशि जारी की गई। हालांकि, यह मुख्यतः बांस के प्रसार और खेती तक ही सीमित था, जिसमें सीमित सीजनिंग और उपचार इकाइयाँ और बांस बाजार थे।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
एमआईडीएच सुरक्षा, बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ और कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं।

भले ही, एनबीएम ने वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों में बांस के क्षेत्रों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इस योजना की मुख्य कमजोरी उत्पादकों (किसानों) और उद्योग के बीच संपर्क की अनुपस्थिति, एक मजबूत मूल्य संवर्धन घटक और सहकारी समितियों, एसएचजी, जेएलजी आदि जैसे संस्थानों के माध्यम से एकत्रीकरण के लिए बांस किसानों को संगठित करने में कमजोर प्रयास थे। इसलिए, तब जोर व्यावसायिक रूप से आवश्यक प्रजातियों के बांस के गुणवत्ता वाले बागानों के प्रचार-प्रसार, उत्पाद विकास और मूल्य संवर्धन, प्राथमिक प्रसंस्करण और उपचार सहित; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले उत्पादों; बाजारों और कौशल विकास पर केंद्रित था, इस प्रकार, बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बांस क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करना, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा।

बांस क्षेत्र के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए पुनर्गठित मिशन में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है:

1. अंतर-क्षेत्रीय तालमेल:

पुनर्गठित एनबीएम विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एनसीडीसी जैसे संगठनों के प्रयासों के समन्वय हेतु एक साझा मंच के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बांस से संबंधित गतिविधियों का बेहतर एकीकरण सुनिश्चित हो रहा है।

2. उत्पादकता में वृद्धि:

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, उन्नत कृषि पद्धतियों और अनुसंधान एवं विकास सहायता को बढ़ावा देकर मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के प्रयास चल रहे हैं। पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उच्च कार्बन-अवशोषित बांस की किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

3. स्वदेशी उपकरण एवं प्रौद्योगिकियां:

भारतीय बांस प्रजातियों के अनुकूल उपकरण और मशीनरी विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और सामुदायिक और औद्योगिक दोनों स्तरों पर प्रसंस्करण दक्षता को बढ़ाना है।

4. उत्पाद विकास एवं विपणन:

बांस उत्पाद डिज़ाइन, मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्करण, कौशल विकास और बाज़ार संपर्कों में नवाचारों को सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है।

5. उद्योग विकास के लिए नीतिगत समर्थन:

किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में बांस क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए, इसके विकास में तेजा लाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन लागू किए जा रहे हैं।

6. निर्माण में बांस को बढ़ावा देना:

स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, रेलवे और बैरकों जैसी सरकारी निर्माण परियोजनाओं में बांस के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण के अनुकूल, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल रहा है और बांस उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

राष्ट्रीय बांस मिशन की मिशन रणनीति और प्रमुख परिणाम

मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एनबीएम ने बांस क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय-लक्षित, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्य रणनीतियों में शामिल हैं:

क्षेत्रीय फोकस: यह मिशन बांस के लिए सामाजिक, वाणिज्यिक और पारिस्थितिक लाभ वाले राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे अन्य बांस-समृद्ध राज्यों पर केंद्रित है।

उत्कृष्ट रोपण सामग्री: उच्च वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग वाली आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ बांस प्रजातियों के उत्पादन और वितरण को प्राथमिकता दी जा रही है।

एंड टू एंड मूल्य श्रृंखला: एनबीएम बांस उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाता है - जिसमें एफपीओ, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ क्लस्टर-आधारित मॉडल के माध्यम से उत्पादन, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन शामिल है।

संस्थागत तालमेल: यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है ताकि उनकी क्षमताओं के आधार पर संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता को एकत्रित किया जा सके।

बाजार पहुंच और निर्यात: बुनियादी ढांचे के समर्थन, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बाजार संपर्कों के माध्यम से बाँस उत्पादों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास: संरचित प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि अनुसंधान एवं विकास उच्च उपज वाले क्लोन, उत्पाद नवाचार, उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों और उपकरण विकास पर केंद्रित है।

नीतिगत समर्थन: सरकारी निर्माण में बाँस के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और अधिदेश तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और ई-नाम जैसी योजनाओं के साथ एकीकरण को भारत के विकास पारिस्थितिकी तंत्र में बांस को मुख्यधारा में लाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस मिशन का उद्देश्य ऐसे ठोस परिणाम प्रदान करना है जो पारिस्थितिक स्थिरता, ग्रामीण आय वृद्धि और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता के इसके उद्देश्यों के साथ सीधे जुड़े हों।

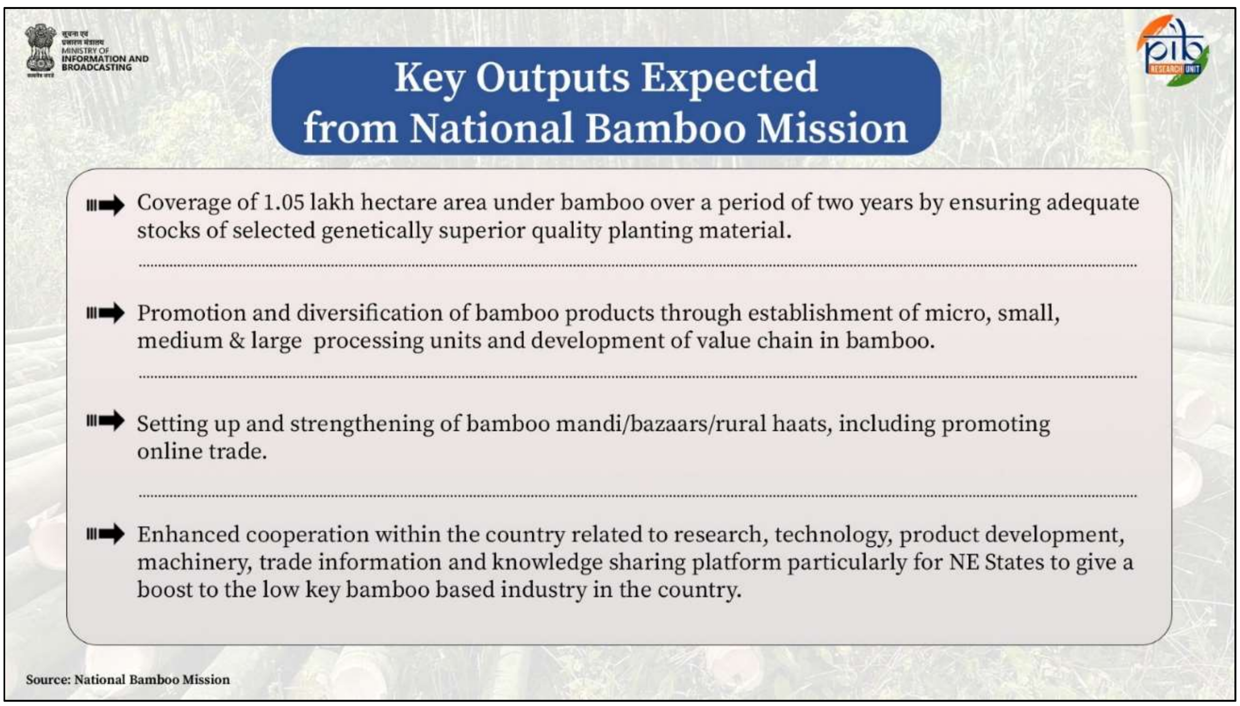

बांस मिशन के अंतर्गत बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है, जिसमें शामिल हैं:

- बांस की खेती को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना

- प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना
- मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास
- सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमिता को बढ़ावा देना
- अपशिष्ट से धन बनाने के दृष्टिकोण को अपनाना
- बाजार के बुनियादी ढांचे का विकास और सुविधा प्रदान करना,
- कौशल विकास पहल
- अभियान, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन

50:10:40 (सब्सिडी: स्वयं का अंशदान: ऋण पैटर्न) के अनुपात में ऋण-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में निजी क्षेत्र को 10% की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अलावा, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत बांस के प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन को भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एफपीओ गठन योजना के तहत बांस आधारित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए जा रहे हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

2020-21 में शुरू किए गए इस एआईएफ का उद्देश्य फार्म गेट भंडारण, रसद और प्रसंस्करण अवसंरचना का समर्थन करके फसल-पश्चात प्रबंधन में आने वाली कमियों को दूर करना है। यह फसल-पश्चात प्रबंधन अवसंरचना और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु ऋणों पर ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

एफपीओ एक सामान्य नाम है, जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित/पंजीकृत किसान-उत्पादक संगठनों को संदर्भित करता है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से गठित किया जाता है। एफपीओ के पीछे की अवधारणा यह है कि किसान, जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, समूह बना सकते हैं।

राष्ट्रीय बांस मिशन का वित्तपोषण का स्वरूप

इस योजना का वित्तपोषण स्वरूप पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों/बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूहों (बीटीएसजी) और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के लिए यह अनुपात 90:10 और 100% है। सहकारी क्षेत्र के लिए, केंद्रीय वित्तपोषण घटक नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। राज्यों के पास सहकारी क्षेत्र के लिए राज्य अंश की अपनी आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु एनसीडीसी से ऋण लेने का विकल्प है।

राष्ट्रीय बांस मिशन की मिशन संरचना

यह मिशन देश भर में **बांस विकास गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए एक त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना** का अनुसरण करता है। ये स्तर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संचालित होते हैं, जिससे उत्तरदायित्वों का निर्बाध ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रवाह सुनिश्चित होता है।

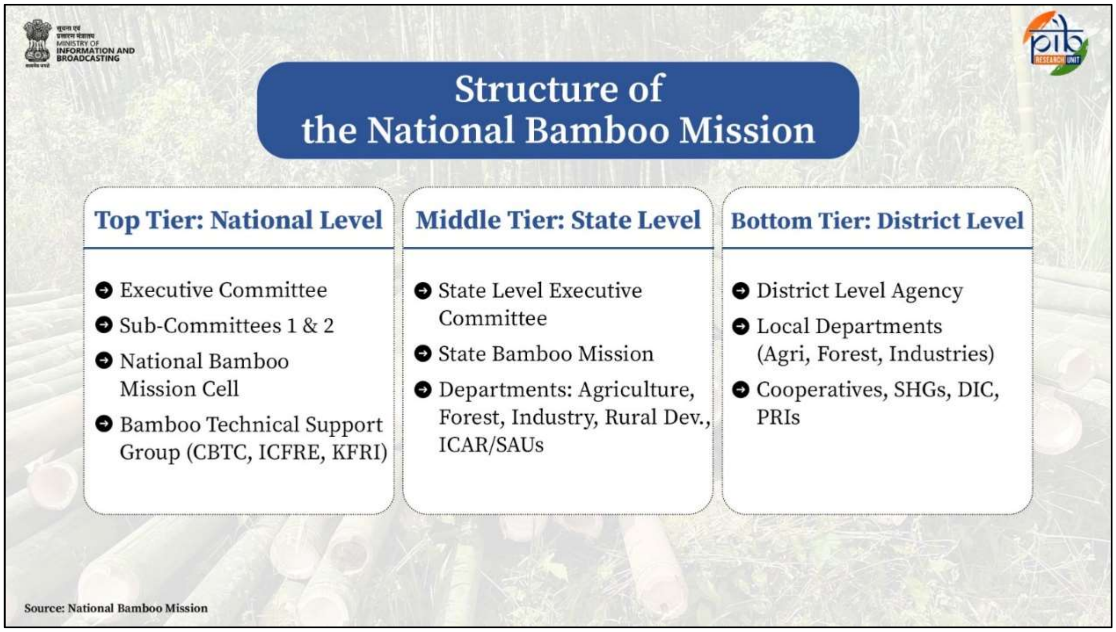

राष्ट्रीय बांस मिशन की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी के अलावा, विभिन्न संकेतकों पर अन्य सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसमें एक द्वि-स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति (ईसी) और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी)। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन भी किए जा रहे हैं। तृतीय पक्ष मूल्यांकन किसानों, किसान समूहों, कारीगरों, महिलाओं आदि की भागीदारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

मिशन के लिए राज्यों द्वारा प्रगति और उपलब्धियों पर एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल द्वारा नजर रखी जा रही है। निर्मित सभी बुनियादी ढांचे की जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है और राज्य मिशन निदेशकों द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से भुवन पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

राष्ट्रीय बांस मिशन से मिल रही अगरबत्ती क्षेत्र को मजबूती

राष्ट्रीय बांस मिशन ने इस क्षेत्र में पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने के लिए अगरबत्ती उत्पादन के लिए एक एमआईएस-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म अगरबत्ती बनाने वाली इकाइयों, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन क्षमता और बाज़ार संबंधों का मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य सरकारों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से, एनबीएम आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लक्ष्य के साथ घरेलू अगरबत्ती उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा है। अगरबत्ती क्षेत्र पारंपरिक रूप से स्थानीय कार्यबल को बड़े पैमाने पर रोज़गार प्रदान करता था, जो कि गोल अगरबत्ती और कच्ची अगरबत्ती के सस्ते आयात सहित विभिन्न कारकों के कारण कम हो गया। इसके अलावा, 2019 में एनबीएम द्वारा एक व्यापक अध्ययन किया गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा अगस्त 2019 में कच्ची बट्टी के आयात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित करने और जून 2020 में गोल बट्टी पर आयात शुल्क को समान रूप से 25% तक बढ़ाने के नीतिगत उपाय किए गए, जिससे घरेलू इकाइयों को बढ़ावा

राष्ट्रीय बांस मिशन की सफलता की कहानियां

बांस: किसानों के लिए जीवन रेखा - मध्य प्रदेश के विजय पाटीदार की सफलता की कहानी

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक प्रगतिशील किसान, श्री विजय पाटीदार ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि कैसे बांस की खेती पारंपरिक खेती का एक स्थायी और लाभदायक विकल्प हो सकती है।

- पारंपरिक फसलों से जुड़े जोखिमों और नुकसानों का सामना करते हुए, उन्होंने 2019 में बांस की खेती की ओर रुख किया और बांस के 4,000 पौधे लगाए।
- राज्य बांस मिशन द्वारा तीन वर्षों में प्रति पौधे ₹120 की सब्सिडी के साथ समर्थित होने से उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आई। दो वर्षों के भीतर, उन्होंने अन्य किसानों को बांस के खंभे बेचकर ₹75,000 कमाए।
- कीटों और जलवायु परिवर्तनों के प्रति बांस की प्रतिरोधक क्षमता महंगी लागत की आवश्यकता को कम करती है, जबकि इसकी सूखी पत्तियों-लगभग 1000 क्विंटल प्रति एकड़-से खाद बनाई जा सकती है।
- श्री पाटीदार ने मिर्च, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ बाँस की अंतर-फसल भी सफलतापूर्वक उगाई, और बाँस की छाया के कारण पानी की कम खपत और बेहतर फसल सुरक्षा का अनुभव किया।

व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि बांस के बाजार में खासी संभावनाएं है और स्थानीय किसानों को बेहतर आय सुरक्षा के लिए अपनी ज़मीन के कम से कम 10% हिस्से पर बांस उगाने की सलाह दी।

गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना: महिलाओं द्वारा संचालित ग्रामीण आजीविका का एक आदर्श मॉडल

महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिले में 2012 में शुरू की गई गढ़चिरौली अगरबत्ती परियोजना (जीएपी) ने अगरबत्ती उत्पादन के माध्यम से 1100 से ज़्यादा लोगों (जिनमें से 90% महिलाएं हैं) के लिए स्थायी आजीविका का सृजन किया है। 32 संचालित केंद्रों के साथ, यह परियोजना महिलाओं को स्थिर आय (₹5,000/माह), कौशल प्रशिक्षण और नेतृत्व के अवसर प्रदान करती है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण, मशीनों के उपयोग और उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से, जीएपी ने आय में सुधार किया, प्रवासन को कम किया और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। इसने ₹10 करोड़ का वेतन दिया है और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड द्वारा समर्थित, इस परियोजना ने कोविड-19 के दौरान भी अपना संचालन जारी रखा और 350 और महिलाओं को स्थिर आय प्रदान की। जीएपी ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए एक सफल, समावेशी मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है।

राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए), असम: बांस मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना

राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए), असम में राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसने निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं:

- **गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री:** कृषि विज्ञान केंद्रों और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट में 10 नर्सरियों को बेहतर बांस जीनोटाइप की आपूर्ति के लिए वित्त पोषित किया।
- **संगठित खेती**: एम्प्री ऑरेंज जैसे एफपीओ के माध्यम से बांस की खेती को बढ़ावा दिया, जिसमें 609 किसान और 585 हेक्टेयर शामिल थे। 14 जिलों में 18 और एफपीओ का प्रस्ताव।
- **हस्तशिल्प संवर्धन:** हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के साथ 10 कारीगरों को प्रशिक्षित किया, जिससे ₹3.65 लाख की बिक्री और ₹300-350 की दैनिक आय हुई।
- **उद्योग संपर्क:** स्थानीय अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाय-बैक और प्रशिक्षण हेतु साइकिल प्योर अगरबत्तीज़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ये प्रयास असम में एक मजबूत और टिकाऊ बांस इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय बांस मिशन एक व्यवस्थित और समावेशी मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के बांस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खेती, प्रसंस्करण, विपणन और नीतिगत समर्थन को एकीकृत करके, यह मिशन न केवल ग्रामीण आजीविका को बढ़ा रहा है, बल्कि सतत विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। क्षमता निर्माण, अंतर-क्षेत्रीय तालमेल और बाजार पहुंच पर केंद्रित प्रयासों के साथ, एनबीएम बांस को भारत की हरित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में बदलने के लिए तैयार है।

संदर्भ

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

https://midh.gov.in/

https://nbm.da.gov.in/

https://nbm.da.gov.in/Success-Stories

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113716

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2106913

https://nbm.da.gov.in/Documents/pdf/NBM_Revised_Guidelines.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1717614

Annual Report 2024-25: https://www.agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

Niti Aayog

https://niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/Technical_Session_2_Incentives_and_Way_Forward_for_promotion_of_Bamboo_Smt._Chhavi_Jha.pdf

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/Technical_Session_1_Commercial_Bamboo_Varieties_and_their_production_in_the_different_states_of_India_Shri_Syed_Salim.pdf

पीके/केसी/एमपी